—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 119/2023

उनवान

कालू पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुरा ,नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार

बनाम

1. लादू पुत्र श्योजी जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुरा ,नसीराबाद हाल निवासी ग्राम बेहडा, सरवाड
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर
2 जरियें राज. पैरोकार
—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 4 से 7 अनुपस्थित

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 28/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केसरपुरा के खसरा नम्बर 564/817 रकबा 0.25, 564/931 रकबा 0.20 खाता संख्या 95/83 किता 24 रकबा 5.88, 94/82 किता 4 रकबा 0.28, 116/98 किता 2 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है। अप्रार्थी संख्या 1 गत 30 वर्ष्र से अन्यत्र निवास करता है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का भी आराजी मुतनाजा पर हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता लादू जीवित होने के कारण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार निहित नही है। अप्रार्थी लादू ने अपने छोटे भाई छोटू को एक लिखत पारिवारिक समझौता/इकरारनामा बैचान दिनांक 13.12.95 को 18—11—0 भूमि व शेष भूमि छोटू को दिनांक 19.2.2000 को परिवा की सहमती से बैचान कर दी थी। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है। छोटू की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उसकर पुत्रवधु भरमा व कमला के नाम पंजीयन की गयी। उक्त विकय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय [illegible] अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पे[illegible]हिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] अधिवक्तागण व [illegible] पैरोकार की बहस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :-

ग्राम केसरपुरा के खसरा नम्बर 564/817 रकबा 0.25, 564/931 रकबा 0.20 खाता संख्या 95/83 किता 24 रकबा 5.88, 94/82 किता 4 रकबा 0.28, 116/98 किता 2 रकबा 0.07 की आराजी लादू पुत्र श्योजी व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी की है। प्रार्थीगण लादू पुत्र श्योजी के पुत्र/पुत्री है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पुश्तेनी होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का भी आराजी मुतनाजा पर हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता लादू जीवित होने के कारण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार निहित नही है। अप्रार्थी लादू ने अपने छोटे भाई छोटू को एक लिखत पारिवारिक समझौता/इकरारनामा बैचान दिनांक 13.12.95 को 18–11–0 भूमि व शेष भूमि छोटू को दिनांक 19.2.2000 को परिवा की सहमती से बैचान कर दी थी। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त कभी भी नही रहा है। छोटू की मृत्यु के बाद उक्त आराजी उसकर पुत्रवधु भरमा व कमला के नाम पंजीयन की गयी। उक्त विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में उक्त आराजी पुश्तैनी होने का खण्डन नही किया है। अतः प्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है। उभयपक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना–अपना कब्जा होने का कथन करते है। किन्तु कब्जे के तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण पुश्तैनी होने के कारण हक व अधिकार निहित होने का कथन करते है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि पुश्तैनी होने का कोई खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के बैचान व हस्तांतरण से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। आराजी मुतनाजा का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्राथीगर्ण के पक्ष में सिद्ध होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्ध होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्ध होंगे।

आदेश :– अतः ग्राम केसरपुरा के खसरा नम्बर 564/817 रकबा 0.25, 564/931 रकबा 0.20 खाता संख्या 95/83 किता 24 रकबा 5.88, 94/82 किता 4 रकबा 0.28, 116/98 किता 2 रकबा 0.07 आराजी [illegible] पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण [illegible] अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी [illegible] के मौके [illegible] रिकार्ड [illegible] यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:03:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible]कारी
नसीराबाद